बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
–:: संकल्प ::–

पटना–15 दिनांक..................

श्री महर्षि राम (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 303/11, तत्कालीन अपर समाहर्त्ता, नवादा के विरूद्ध चार लाख रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर दिनांक–08.09.2016 को न्यायिक हिरासत में (आदर्श केन्द्रीय कारा, बेउर, पटना) भेजे जाने एवं निगरानी थाना कांड संख्या–087/2016 दिनांक–09.09.2016 दर्ज किये जाने की सूचना पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक–2174 दिनांक–21.09.2016 द्वारा इस विभाग दी गयी।

उक्त के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–13501 दिनांक–03.10.2016 द्वारा दिनांक–08.09.2016 के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया। विभागीय संकल्प ज्ञापांक–17445 दिनांक–30.12.2016 द्वारा निलंबन अवधि को अगले चार माह के लिए विस्तारित किया गया।

श्री राम के विरूद्ध विभागीय स्तर पर आरोप–पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक–3394 दिनांक–21.03.2017 द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गयी। आदर्श केन्द्रीय कारा बेऊर, पटना के पत्र संख्या–2184 दिनांक–24.04.2017 के माध्यम से श्री राम द्वारा अनुरोध किया गया कि "वे कारा में संसीमित हैं। ऐसी स्थिति में बचाव का लिखित अभिकथन समर्पित करने में वे असमर्थ है।"

श्री राम के कारा से मुक्ति के पश्चात् लिखित अभिकथन प्राप्त होने की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया गया। निगरानी थाना कांड संख्या–087/2016 दिनांक–09.09.2016 धारा–7/13(2) सह पठित धारा–13(1)(डी) भ्र0नि0अधि0, 1988 के प्राथमिकी अभियुक्त होने के कारण धारा–19 भ्र0नि0अधि0 1988 के प्रावधानों के तहत पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के प्रस्ताव के आलोक में विधि विभाग के आदेश ज्ञापांक–220 दिनांक–08.11.2016 द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गयी।

पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक–6486 दिनांक–30.10.2017 द्वारा माननीय विशेष न्यायालय निगरानी (Trap) पटना द्वारा दिनांक–11.08.2017 को पारित न्याय निर्णय की छायाप्रति उपलब्ध करायी गयी, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

"After considering all the materials available on the record and submission of learned counsel for the convict and the learned Spl. P.P, I find that it just and proper to sentence the convict Maharshi Ram to undergo Rigorous Imprisonment for five years with fine of Rs. 25,000/- for the offence U/s 7 of P.C. Act, 1988 and in case of default in payment of fine further Simple Imprisonment for six months. He is further sentenced to undergo Rigorous Imprisonment for five years and fine of Rs. 25,000/- for the offence Under Section 13 (2) read with section 13 (1) (d) of P.C. Act, 1988 and in default of payment of fine further Simple Imprisonment of six months. All the sentences will run concurrently. The period of custody undergone by the convict will be set off."

श्री राम दिनांक–30.09.2017 को सेवानिवृत्त होने के कारण विभागीय संकल्प ज्ञापांक–14775 दिनांक–21.11.2017 द्वारा उन्हें सेवानिवृति की तिथि (दिनांक–30.09.2017) से निलंबन मुक्त किया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के धावादल द्वारा श्री राम को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने के संदर्भ में गठित आरोप–पत्र और निगरानी थाना कांड संख्या 87/2016, विशेष वाद संख्या 49/2016 में माननीय विशेष न्यायालय द्वारा भ्र0नि0अधि0, 1988 की धारा–7/13(2) सह पठित धारा–13(1)(डी) के अन्तर्गत प्रत्येक धाराओं में पाँच–पाँच वर्ष की सजा एवं 25,000–25,000/–रू0 कुल 50,000/– रूपये अर्थ दंड दिये जाने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प ज्ञापांक–14783 दिनांक–21.11.2017 द्वारा शत–प्रतिशत (100%) पेंशन अवरूद्ध किये जाने का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया।

विदित हो कि श्री राम की मृत्यु दिनांक–05.07.2024 को हो चुकी है।

महालेखाकार (ले० एवं हक०) का कार्यालय पत्रांक–GN291220250303510 द्वारा श्री राम के निलंबन अवधि के विनियमन एवं दिनांक–30.09.2017 को कर्त्तव्य वेतन के भुगतान के संबंध में विभागीय निर्णय/मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

अनुशासिनक प्राधिकार द्वारा उक्त तथ्यों की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत श्री राम के निलंबन अवधि दिनांक–08.09.2016 से 29.09.2017 तक को केवल पेंशन के प्रयोजन के लिये विनियमित करने एवं दिनांक–30.09.2017 को एक दिन के कर्त्तव्य वेतन का भुगतान करने का निर्णय लिया गया।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री महर्षि राम (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 303/11, तत्कालीन अपर समाहर्त्ता, नवादा के निलंबन अवधि दिनांक–08.09.2016 से 29.09.2017 तक को केवल पेंशन के प्रयोजन के लिये विनियमित करते हुए दिनांक–30.09.2017 का एक दिन के कर्त्तव्य वेतन का भुगतान किया जाएगा।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–
(संजय कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–27/अभि०–03–15/2024 सा०प्र० 1532 **/पटना, दिनांक** 20.01.26

स्पीड
पोस्ट
फैक्स

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के पत्रांक–GN291220250303510 के संदर्भ में/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, नवादा/कोषागार पदाधिकारी, नवादा/श्री महर्षि राम (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 303/11, तत्कालीन अपर समाहर्त्ता, नवादा सम्प्रति सेवानिवृत पता–सरैया, रामपुर सरैया, दरौली, सिवान, बिहार, पिन–841234/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12, 14/चारित्री कोषांग एवं आई०टी० मैनेजर (वेबसाईट पर अपलोड हेतु), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19.1.26
सरकार के अपर सचिव।